दिनांक: 23-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार सहानरपुर पुलिस द्वारा मन्दिर के पुजारी के साथ लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर लूटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूटी गई एक पीली धातु की अंगूठी, घटना मे प्रयुक्त मोटरसाईकिल वल 01 चाकू बरामद

बरामदगी:-

- **01 मर्दाना अंगूठी पीली धातु**
- **घटना मे प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल हीरो स्पेलण्डर प्लस UP11BY 1548**
- **01 चाकू नाजायज**

अवगत कराना है कि दिनांक 22.08.2023 को वादी श्री त्रिलोकी नाथ पुत्र देवन्द्र कुमार निवासी रामपुरी कालोनी, थाना सदर बाजार सहारनपुर द्वारा लिखित तहरीर बाबत 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दि. 22.8.2023 को आईटीसी रोड पर श्री राम मन्दिर चौकी क्षेत्र खलासी लाइन से वादी के हाथ की अंगुली से सोने की अंगूठी छीन कर ले जाना के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 372/23 धारा 392 भादवि बनाम 02 अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना के शीघ्र अनावरण व लूटेरो की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी सदर बाजार को आदेश निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 23.09.2023 को मुखबिर की सूचना पर आईटीसी रोड ओजपुरा की पुलिया से 03 अभियुक्तगण- **1.अनुराग पुत्र सुरेश नि.भगत वाटिका कालोनी निकट मोल्हू की कोठी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर, 2. हितेश पुत्र पवन नि.रांमपुरी कालोनी निकट हनुमान मन्दिर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर, 3.मोनू पुत्र सुरेन्द्र नि. वेद विहार कालोनी निकट मोल्हू की कोठी थान सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त हितेश राणा के कब्जे से वादी से लूटी गयी 01 मर्दाना अंगुठी पीली धातु व 01 चाकू बरामद हुआ है एवं पकडे गये तीनों अभि0गणों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल हीरो स्पेलण्डर प्लस यूपी 11 बीवाई 1548 रंग काला बरामद हुई है। अभियुक्तगणों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्तगणो से पूछताछ पर अभियुक्त हितेश नें बताया कि मोनू व अनुराग मेरे दोस्त हैं। मै बीएससी कर रहा हुँ, मोनू 12वी पास है तथा प्लम्बर का काम करता है एवं अनुराग जो कई बार फेल हो चुका है वह कक्षा 11 का छात्र है। अब से करीब 1 महिने पहले हम तीनो इसी मोटर साईकिल से शाम के समय दिनांक 22.08.23 को आईटीसी श्री राम मन्दिर पर घूमने गये थे। हमने देखा की मन्दिर के पुजारी नें अपने हाथ में एक सोने की अंगुठी पहन रखी थी जिस पर मैनें कहा कि मुझे पैसो की जरूरत है। आज इस पुजारी की अंगुठी छीन लेते हैं, हम तीनो का खर्चा चल जायेगा। इस पर मोनू व अनुराग भी तैयार हो गये। इसके बाद हम तीनो राम मन्दिर से वापस गोपाल मन्दिर के पास आये जहाँ पर मैने अपने कपड़े बदले तथा मोटर साइकिल की नम्बर प्लेट पर सड़क किनारे की गीली मिट्टी पोत दी जिससे मोटर साइकिल की पहचान न हो सके तथा हम तीनो मोटर साइकिल से वापस आये

तथा राम मन्दिर से पहले गोपाल मन्दिर जाने वाली रोड पर मोनू को उतार दिया कि तू सड़क पर घूम फिरकर आने जाने वालो पर नजर रख तथा मैं व अनुराग मन्दिर के पुजारी से अंगुठी छीन कर लाते है । इस पर मैं व अनुराग राममन्दिर पर दोबारा आये । मैने व अनुराग नें अपनी पहचान छुपाने के लिये मुहँ पर कपड़ा बांध लिया तथा अनुराग मोटर साइकिल स्टार्ट करके राम मन्दिर के बाहर सड़क पर खड़ा हो गया और मैं तेजी से राम मन्दिर के अन्दर गया तथा मन्दिर में मिले पुजारी की एक दम पीछे से कोली भरकर एक हाथ से उसके गले पर चाकू लगाकर धमकाया तथा दूसरे हाथ से उसके दाहिने हाथ में पहनी सोने की अंगूठी छीनकर शोर मचाने पर मार देने की धमकी देकर तेजी से बाहर निकला और अनुराग के साथ मोटर साइकिल पर बैठकर गोपाल मन्दिर की तरफ भाग गये । मोनू को भी आगे से मोटर साइकिल पर साथ ले लिया । उसके दो दिन बाद जब अनुराग व मोनू नें मुझसे अपना हिस्सा मांगा तो मैने कहा कि अंगुठी बहुत अच्छी है औऱ मुझे पसंद आ गयी है। ज्यादा से ज्यादा दस हजार की होगी। तुम लोगो को तीन तीन हजार रूपये दे देता हूँ, अंगुठी मैं खुद पहनुंगा । तभी से अंगुठी मैं पहन रहा हूँ जो मुझसे मिली है यह वही अंगुठी है जो हम तीनो नें पुजारी से छीनी थी तथा मुझसे जो चाकू बरामद हुआ है, इसी से मैने पुजारी के गले पर लगाकर धमकाया था व मोटर साइकल मोनू लेकर आया था । जिस पर अनुराग व मोनू नें भी हामी भरते हुये अंगुठी को हाथ में लेकर पहचान कर बताया कि हाँ यही अंगुठी हितेश मन्दिर के अन्दर से मन्दिर के पुजारी को डरा धमकाकर छीन कर लाया था । अभियुक्तत मोनू नें बताया कि मोटर साइकिल मेरे पिता सुरेन्द्र के नाम है, जिसका कोई कागज मेरे पास नही है । इसी मोटर साइकिल से हम तीनो ने लूट की थी । इसके अलावा मन्दिर के पुजारी से और कुछ नही छीना था । घटना के बाद हम तीनो अलग अलग काफी दिन तक रहे तथा जब मोनू व अनुराग के हिस्से में आये रूपये खत्म हो गये तब हम तीनो फिर कोई घटना करने की फिराक में आज सोफिया स्कूल के पास मोटर साइकिल लिये घूम रहे थे कि पुलिस को ओजपुरा की पुलिया पर चैंकिग करते देख वापस भाग रहे थे ।

गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण का नाम व पता :-

1. अनुराग पुत्र सुरेश नि.भगत वाटिका कालोनी निकट मोल्हू की कोठी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
2. हितेश पुत्र पवन नि.रांमपुरी कालोनी निकट हनुमान मन्दिर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
3. मोनू पुत्र सुरेन्द्र नि. वेद विहार कालोनी निकट मोल्हू की कोठी थान सदर बाजार जनपद सहहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

अभि0 हितेश से वरामद 01 मर्दाना अंगूठी पीली धातु व 01 चाकू
घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल हीरो स्पेलण्डर प्लस UP11BY 1548 सीज शुदा 207 एमवी एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. म0उ0नि0 श्वेता शर्मा, थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. उ0नि0 देवेन्द्र अधाना, थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. का0 1967 अनुज थाना सदर बाजार, सहारनपुर
5. का0 2329 अनिल थाना सदर बाजार, सहारनपुर
6. का0 2241अनिल थाना सदर बाजार, सहारनपुर
7. का0 149 पवन थाना सदर बाजार, सहारनपुर

दिनांकः 23-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बडगाँव श्री विशाल श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में बडगाँव पुलिस द्वारा थाना बडगाँव पर पंजीकृत मु0अ0सं0 184/23 धारा 323, 326, 504 भादावि में वांछित अभि0 **विजयपाल सिंह पुत्र धूमसिंह नि0 चिराऊ थाना बडगांव जनपद सहारनपुर** को आज दिनांक 23.09.2023 को ग्राम चिराऊ थाना बडगाँव सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय के समक्ष समय से भेजा जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

विजयपाल सिंह पुत्र धूमसिंह नि0 चिराऊ थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. प्र0नि0 श्री विशाल श्रीवास्तव थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 विजयपाल सिंह थाना बडगाँव सहारनपुर।
3. का0 2410 पंकज कुमार थाना बडगाँव सहारनपुर।

दिनांक: 23-09-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट मे 01 गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज छुरा बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे जनपद मे अपराधियों/वांछितो के विरूद्ध चलाये जा रहे धरपकड अभियान के क्रम मे, पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व मे थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 23.09.2023 को अभियुक्त **हमजा पुत्र मुर्सलीन निवासी मौ0 हाकमशाह कालोनी मोहम्मद मस्जिद के पास थाना कुतुबशेर सहारनपुर** को नाला पटरी के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक नाजायज छुरा बरामद हुई। अभियुक्त हमजा उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 274/23 धारा 4/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मै लोगो को डराने धमकाने व गलत काम करने के लिये अपने पास यह छुरी रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

हमजा पुत्र मुर्सलीन निवासी मौ0 हाकमशाह कालोनी मोहम्मद मस्जिद के पास थाना कुतुबशेर सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

01 नाजायज छुरी **(सम्बन्धित मु0अ0सं0 274/23 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कुतुबशेर सहारनपुर)**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 882 सचिन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. का0 372 कपिल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।